महत्वपूर्ण/गो संरक्षण

संख्या 402 /सैंतीस-2-2025

प्रेषक,

के0 रविन्द्र नायक,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1- समस्त जिलाधिकारी, उ०प्र०।
2- निदेशक, प्रशासन एवं विकास,
पशुपालन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
3- निदेशक,
स्थानीय निकाय, नगर विकास विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

पशुधन अनुभाग-2 लखनऊ :: दिनांक 06 मार्च, 2025

विषय- आगामी होली पर्व के अवसर पर होलिका दहन हेतु गो आश्रय स्थलों में गाय के गोबर से निर्मित विभिन्न उत्पादों का प्रयोग किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

आप अवगत हैं कि प्रदेश में होली का पर्व सामाजिक समरसता, हर्ष उल्लास एंव जीवन के विभिन्न रंगों, सुख तथा समृद्धि का प्रतीक है। गाय हमारी रीति रिवाज और संस्कृति का अभिन्न अंग है। गाय के गोबर तथा दूध का उपयोग सभी मांगलिक कार्यों में किया जाता है। विदित है कि होलिका पर्व के दौरान होलिका दहन में भारी मात्रा में लकड़ी का उपयोग किया जाता है, जिसके फलस्वरूप वृक्षों से लकड़ी की कटाई किये जाने से पर्यावरण भी प्रभावित होता है। होली के दौरान गोबर के उत्पादों का प्रयोग किये जाने से वृक्षों का कटान कम होगा, पर्यावरण सुरक्षित होगा तथा प्रदूषण भी नियंत्रित हो सकेगा, इसके साथ-साथ गो आश्रय स्थलों को अतिरिक्त आय होगी।

2. उक्त के दृष्टिगत आगामी होली के पर्व पर होलिका दहन में लकड़ी के स्थान पर अधिक से अधिक मात्रा में गोबर से बने हुए विभिन्न उत्पादों का प्रयोग किये जाने हेतु निम्नानुसार कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है:-

(1) प्रदेश के 7720 भो आश्रय स्थलों में लगभग 12.44 लाख गोवंश संरक्षित है, जिनसे प्रतिदिन औसतन 6200.00 टन गोबर (05 कि०ग्रा० प्रति गोवंश) उत्पादित होता है। गो आश्रय स्थलों में उत्पादित गोबर से गोबर के उपले/कंडे तथा गोबर लॉग तैयार किये जा रहे हैं, जिनकी विक्री से गो आश्रय स्थलों को अतिरिक आर्थिक संसाधन उपलब्ध हो रहा है।

(2) प्रदेश के शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में चिन्हित स्थानों पर परंपरागत तरीके से होलिका दहन किया जाता है, जिससे लकड़ी के साथ-साथ गाय के गोबर से तैयार बलगोरियों/बल्ले तथा उपले होलिका में डाले जाते हैं। आगामी होली पर्व पर लकड़ी के स्थान पर अधिक से अधिक गाय के गोबर से तैयार उपलों/कंडों तथा गोबर लॉग का प्रयोग किये जाने हेतु विशेष प्रयास किये जाएं।

(3) होली पर्व के दृष्टिगत गो आश्रय स्थलों में उपलब्ध गोबर से गोबर के कंडे तथा गोबर लॉग का उत्पादन स्वयं सहायता समूहों की मदद से किया जाए।

(4) होली के पर्व/होलिका दहन से संबंधित आयोजन समितियों से मिलकर गोबर से तैयार बलगोरियों/वल्ले, उपले तथा गोलॉग उत्पादों को गो आश्रय स्थलों से क्रय किये जाने हेतु उन्हें प्रेरित किया जाए।

(5) गो आश्रय स्थलों में गाय के गोबर से तैयार बलगोरियों/वल्ले, उपले तथा गोलॉग का क्रय मूल्य रु० 5.00 प्रति कि०ग्रा० निर्धारित किया जा सकता है। गाय के गोबर से तैयार गोकास्ट (गोबर लॉग) लकड़ी की तुलना में 20 प्रतिशत सस्ता भी होगा। उक्त उत्पादों की बिक्री गो आश्रय स्थलों, स्वयं सहायता समूह बिक्री केन्द्र, कृषि, डेयरी तथा खादी एवं ग्रामोद्योग विभाग के विभिन्न आउटलेट्स से की जा सकती है।

(6) होली के पर्व पर गो आश्रय स्थलों के आर्थिक स्वावलंबन हेतु उपरोक्त प्रयासों में संबंधित समन्वयकारी विभाग यथा पशुपालन विभाग, राजस्व विभाग, पंचायतीराज विभाग, नगर विकास विभाग, ग्राम्य विकास विभाग एवं गृह विभाग द्वारा समेकित प्रयास किये जाएं।

3- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उपर्युक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

Signed by
"RAVINDER NAIK KHATRAVATH"
Date: 05-03-2025 16:50:53

(के० रविन्द्र नायक)
प्रमुख सचिव।

संख्या 402 (1)/सैंतीस-2-2024-तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रमुख सचिव, मा० मुख्यमंत्री जी, उ०प्र०शासन।
2- प्रमुख स्टाफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, उ०प्र०शासन।
3- विशेष कार्याधिकारी, कृषि उत्पादन आयुक्त, उ०प्र०शासन।
4- प्रमुख सचिव, गृह विभाग, उ०प्र०शासन।
5- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, पंचायतीराज विभाग, उ०प्र०शासन।
6- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, राजस्व विभाग, उ०प्र०शासन।
7- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास विभाग, उ०प्र०शासन।
8- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग, उ०प्र०शासन।
9- समस्त मण्डलायुक्त।
10- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(देवेन्द्र कुमार पाण्डेय)
विशेष सचिव।